

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 82 / 2018 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- दांता।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम


1. चुन्नी लाल शेषमा पुत्र पेमा राम शेषमा, ऋणी  
पता:- ग्राम पंचायत भवन के पीछे, केशव कॉलोनी, वार्ड नम्बर 29, गांव व पोस्ट-  
दांता, तहसील- दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. पेमा राम शेषमा पुत्र आशा राम, जमानतदार  
पता:- ग्राम पंचायत भवन के पीछे, केशव कॉलोनी, वार्ड नम्बर 29, गांव व पोस्ट-  
दांता, तहसील- दांतारामगढ़, जिला सीकर।

**The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act. 2002.**

**निर्णय**

निर्णय दिनांक: 24 जनवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण चुन्नी लाल शेषमा, पेमा राम शेषमा को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में आवासीय सम्पत्ति जो कि खसरा नम्बर 1277 / 1, 1277 / 2 और 1278 / 2 ग्राम व पोस्ट दांता, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है जो पेमा राम शेषमा पुत्र आशा राम के नाम से हैं, को बंधक रखकर 12,90,000 / -रुपये ( अक्षरे रूपये बारह लाख नब्बे हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.07.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना

  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री विनोद कुमार सरोज ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा जारी किया गया ऋण को दिनांक 04.07.2018 को राशि 18,85,694/- रूपये का वकाया दर्शाकर NPA किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त NPA किये जाने के पश्चात उक्त खाते में शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क कर उक्त खाते को पुनः पूर्ववत् चालु किये जाने हेतु आश्वस्त किये जाने पर उक्त कार्यवाही ज्ञाप किये जाने का आशवासन दिये जाने के पश्चात राशि जमा करायी गई है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भी खाता NPA होने के पश्चात दिनांक 18.08.2018 को 50,000/-रूपये तथा दिनांक 24.08.2018 को 4,50,000/-रूपये जमा करवाये गये हैं।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 13.07.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

1. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण चुन्नी लाल शेषमा, पेमा राम शेषमा की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक आवासीय सम्पत्ति जो कि खसरा नम्बर 1277/1, 1277/2 और 1278/2 ग्राम व पोस्ट दांता, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है जो पेमा राम शेषमा पुत्र आशा राम के नाम से हैं, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांक: 24 जनवरी, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(नरेश कुमार ठकराल)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर